



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6178

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40394 वर्ष 2025

सियाराम सोनी

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राज कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, हरीश चंद्र गुप्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

आज दाखिल किए गए प्रतिउत्तर हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

श्री राज कुमार की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार, जो आवेदक के अधिवक्ता थे; श्री हरीश चंद्र गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार, जो शिकायतकर्ता के अधिवक्ता थे; राज्य के अधिवक्ता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एजीए की ओर से अधिवक्ता श्री एजीए की बात सुनी गई और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

यह जमानत याचिका आवेदक सियाराम सोनी की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मुकदमा अपराध संख्या 95/2024, धारा 323, 504, 506, 120-बी, 34, 302 और 307 के तहत, पुलिस स्टेशन- पिपारी, जिला- कौशांबी में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

यह आवेदक की दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने 5.5.2025 को सह-आरोपी आशीष कुमार सोनी (आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36315/2024) की जमानत अस्वीकृति आदेश पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें अवर न्यायालय को आवेदक के खिलाफ मुकदमे को यथाशीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।

आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष, पीडब्ल्यू-1, मृतक के पुत्र और घायल गवाह प्रशांत कुमार सोनी की परीक्षा ली गई है, जिसने अपने सिर पर लोहे की रॉड से चोट पहुंचाने का आरोप आवेदक पर लगाया है और अपने पिता के सिर पर बंदूक के बट से घातक चोट पहुंचाने का आरोप सह-आरोपी आशीष पर लगाया है। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी आशीष के समान है, जो पीडब्ल्यू-1 के बयान से स्पष्ट है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.5.2024 से जेल में बंद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उसे मुकदमे से पहले के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों में बल पाते हुए; मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; पुलिस द्वारा एकतरफा जांच, जिसमें आरोपी पक्ष के मामले की अनदेखी की गई; आवेदक के विचाराधीन होने के कारण, उचित सुनवाई का मौलिक अधिकार होने के कारण; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन कैदियों द्वारा और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करे, प्रत्येक समान राशि का, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, धारा 82 सीआर.सी. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही धारा 346 बी.एन.एस.एस. के अनुसार यथाशीघ्र समाप्त करे।

9 जनवरी 2026

रुचि अग्रहरि

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।